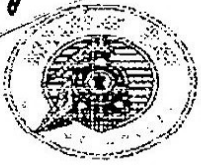


3 pages



395

पूर्वोत्तर रेलवे

कार्यालय
महाप्रबन्धक (कार्मिक)
गोरखपुर।

1
172/2017

ई0पी0सं0-2-16

क्रमांक 172/2017

आरबीई सं0-94/2017

सं0 ई/227/2/भाग-15/IV

दिनांक 30-08-2017

1. सचिव/महाप्रबन्धक
 2. सचिव/अपर महाप्रबन्धक
 3. सभी विभागाध्यक्ष
 4. अध्यक्ष/नरसा
 5. सचिव/नरसा
 6. वरिष्ठ क्रीड़ा अधिकारी
 7. सभी मण्डल रेल प्रबन्धक
 8. सभी कार्मिक अधिकारी
 9. सभी मुख्य कारखाना प्रबन्धक
 10. सभी अतिरिक्त मण्डलाधिकारी/स्थापना
- पूर्वोत्तर रेलवे।

विषय:-टैलेंट स्काउटिंग और खुले विज्ञापन के माध्यम से खेल-कूद कोटे के अन्तर्गत खिलाड़ियों की भर्ती के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण।

रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या 2013/ई(स्पोर्ट्स)/4(1)/2/पॉलिसी दिनांक 11.08.2017 की अंग्रेजी एवं हिन्दी प्रतिलिपि सूचना, मार्गदर्शन एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक/यथोपरि

(ए0 के0 सिंह)

उपमुकाधि/अराज
कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महामंत्री/एन.ई.रेलवे मजदूर यूनियन/गोरखपुर - 40 प्रतियों में।
- 2- महामंत्री/प्रमोटी अधिकारी संघ/पूउरे/गोरखपुर - 02 प्रतियों में।
- 3- महामंत्री/रेसुब एशोसियेशन/पूउरे/गोरखपुर - 02 प्रतियों में।
- 4- पूर्वोत्तर रेलवे प्रथम श्रेणी अधिकारी संघ/गोरखपुर - 01 प्रति में।
- 5- महामंत्री/एससी/एसटी एवं ओबीसी एशोसियेशन/गोरखपुर - 02 प्रतियों में।
- 6- मुकार्याधी/एमपीपी को वेबसाइट पर अपलोड हेतु - 01 प्रति में।

कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक

2/172/2017

2/172/2017

43

RBE No. 91/ 2017
Clarification/Corrigendum No. 82

भारत सरकार Government of India
रेल मंत्रालय Ministry of Railways
(रेलवे बोर्ड) (Railway Board)

No. 2013/E(Sports)/4(1)/2/Policy

The General Managers (P),

All Zonal Railways including
CLW, DLW, ICF, RCF, RWF, Metro Railway/Kolkata,
The CAO(R), DMW/Patiala,
The DG, RDSO/Lucknow.

New Delhi, dated 11.08.2017

Ch. OS/Rulling
Ch. OS/RAC
23/8

17.08.17

गुपति / कमा.

05/08/2017
05/8/17

NER

विषय: Recruitment of sportspersons against Sports Quota through Talent Scouting
and Open Advertisement- clarification regarding.

संदर्भ: Board's letters nos. (I) 2010/E (Sports)/4(1)/1 (policy) dated 31.12.2010 (RBE
No. 189B/2010), No. 2012/E(Sports)/4(1)/1/ Policy Clarifications dated
18.04.2012 (RBE No. 52/2012), No. 2014/E(Sports)/4(1)/1/Policy
Clarifications dated 17.01.2014 (RBE No. 10/2014) and No.
2013/E(Sports)/4(1)/2/Policy dated 04.01.2016 (RBE No. 08/2016).

Railway Board vide letter No. 2013/E(Sports)/4(1)/2/Policy dated 04.01.2016 has
restored the previous provisions of policy to treat all team members at par in team games for
the purpose of recruitment against sports quota and for granting incentives/OTPs and delete
following Para of the policy:-

Letter No.	Date	Para No.
2012/E(Sports)/4(1)/1/Policy Clarification	18.04.2012	4.1(m) Notes (New Para)- For recruitment against sports quota

After deletion of above para in Board's letters dated 18.04.2012 there is no validity of
Board's letter dated 17.01.2014. As such Board's letter No. 2014/E(Sports)/4(1)/1/Policy
Clarifications dated 17.01.2014 (RBE No. 10/2014) may also be treated as cancelled.

Bhaskar Roy Choudhury

(Bhaskar Roy Choudhury)
Dy. Director, Estt.(Sports)

19.0
22.8

3
172/2017

आरबीई सं. 94/2017
स्पष्टीकरण/शुद्धिपत्र सं. 82

भारत सरकार
रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)

सं. 2013/ई(स्पोर्ट्स)/4(1)/2/पॉलिसी

नई दिल्ली, दिनांक 11.08.2017

महाप्रबंधक (पी),

सभी क्षेत्रीय रेलें

चि.रे.का., डी.रे.का., स.डि.का., रे.डि.का., आरडब्ल्यूएफ, मेट्रो रेलवे/कोलकाता सहित

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी(आर), डीएमडब्ल्यू/पटियाला,

महानिदेशक, अ.अ.मा.सं./लखनऊ

विषय: टैलेंट स्काउटिंग और खुले विज्ञापन के माध्यम से खेल-कूद कोटे के अंतर्गत खिलाड़ियों की भर्ती के संबंध में स्पष्टीकरण।

संदर्भ: बोर्ड का दिनांक 31.12.2010 का पत्र सं. 2010/ई(स्पोर्ट्स)/4(1)/1(पॉलिसी)(आरबीई सं. 189बी/2010) 18.04.2012 का पत्र सं. 2012/ई(स्पोर्ट्स)/4(1)/1 पॉलिसी क्लेरिफिकेशन्स (आरबीई सं. 52/2012), 17.01.2014 का पत्र सं. 2014/ई(स्पोर्ट्स)/4(1)/1 पॉलिसी क्लेरिफिकेशन्स (आरबीई सं. 10/2014) और 04.01.2016 का पत्र सं. 2013/ई(स्पोर्ट्स)/4(1)/2 पॉलिसी (आरबीई सं. 08/2016)।

रेलवे बोर्ड ने अपने दिनांक 04.01.2016 के पत्र सं. 2013/ई(स्पोर्ट्स)/4(1)/2/पॉलिसी के तहत खेल-कूद कोटे के अंतर्गत भर्ती के प्रयोजन से और प्रोत्साहन/ओटीपी प्रदान करने और नीति के निम्नलिखित पैरा को हटाने के लिए टीम खेलों में टीम के सभी सदस्यों को बराबर समझने संबंधी नीति के पिछले प्रावधानों को पुनः लागू किया है:-

पत्र सं.	तारीख	पैरा सं.
2012/ई(स्पोर्ट्स)/4(1)/1 पॉलिसी क्लेरिफिकेशन	18.04.2012	4.1 (एम) नोट्स (नया पैरा) - खेल-कूद कोटे के तहत भर्ती करने के लिए

बोर्ड के दिनांक 18.04.2012 के पत्रों में उपर्युक्त पैरा को हटाने के बाद बोर्ड का दिनांक 17.01.2014 का पत्र वैध नहीं है। अतः बोर्ड के 17.01.2014 के पत्र सं. 2014/ई(स्पोर्ट्स)/4(1)/1 पॉलिसी क्लेरिफिकेशन्स (आरबीई सं. 10/2014) को भी रद्द माना जाए।

(भास्कर रॉय चौधरी)
उप निदेशक, स्थापना (स्पोर्ट्स)